न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

अपील संख्या : 07/2017 (जीसीएमएस संख्या : 2017/00496)

1. भगवानसहाय पुत्र स्व0 श्री लादू, निवासी–ग्राम हरिबल्लभपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–ए–222, पार्श्वनाथ कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
2. लाला राम पुत्र स्व0 श्री लादू, निवासी–ग्राम हरिबल्लभपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री लादू, निवासी–ग्राम हरिबल्लभपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. मीरा उर्फ प्रेमदेवी पत्नी श्री बाबूलाल, निवासी–जी–64ए, संजयनगर कच्ची बस्ती, अजमेर रोड, जयपुर।
3. लालीदेवी पुत्री श्री जमना लाल, निवासी–ग्राम रेनवाल मांजी, नन्दविहार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. आशा पुत्री स्व0 श्री बजरंगलाल पत्नी श्री दिनेश, निवासी–ग्राम झराना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. दिनेश नाबालिग जरिऐ संरक्षक माता लालीदेवी, निवासी–ग्राम रेनवाल माजी, नन्द विहार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 25.06.2016 नामान्तरकरण सं0 173 ग्राम हरिबल्लभपुरा द्वारा तहसीलदार, चाकसू)

उपस्थितः–
1. श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट् सं0 1 की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. श्री हनुमान प्रसाद बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 की ओर से।
4. रेस्पाडेन्ट सं0 2 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 27.04.2022

ग्राम हरिबल्लभपुरा, पटवार हल्का–तामडिया की आराजी खसरा नं0 502 रकबा 1.15 हे0, खसरा नं0 503 रकबा 1.38 हे0, खसरा नं0 503/574 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 504 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.54 हे0 हिस्सा 1/4 के खातेदार–काश्तकार बजरंग पुत्र श्री लादू, जाति–बैरवा राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा,

कादेडा मूर्त. की विरासत का नामान्तरकरण मीरा उर्फ प्रेमदेवी लालीदेवी पत्नियां बजरंगलाल आशा पुत्री बजरंगलाल दिनेश पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/4 हि.ब. जाति–बैरवा राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा कादेडा मूर्त. के नाम तहसीलदार, चाकसू ने नामान्तरकरण संख्या 173 ग्राम–हरिबल्लभपुरा दिनांक 25.06.2016 को स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरवा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई का नोटिस नहीं दिया सारी कार्यवाही बाला–बाला की गई है जो एकतरफा होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट् के हक में खातेदार बजरंगलाल द्वारा वसीयत किये जाने के कारण खातेदार की मृत्यु–उपरान्त अपीलान्ट् ने तहसीलदार, चाकसू को दिनांक 03.07.2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया था कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार की दिनांक 25.08.2013 को मृत्यु हो गई है। खातेदार ने दिनांक 22.08.2013 को अपीलान्ट् के हक में मोजिज व्यक्तियों के सामने वसीयत की है, यहां तक की इस लेख पत्र के जरिऐ अपीलान्ट् को वारिस एवं उत्तराधिकारी घोषित किया है, जो नोटेरी पब्लिक ने तस्दीक की है, अतः वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट् के हक में खोला जावे। यह प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.07.2015 में अपीलान्ट् के हक में वसीयत होने की ताईद की है। अधीनस्थ तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश किये है परन्तु न तो किसी को नोटिस जारी किये गऐ और न ही अपीलान्ट्–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर कोई विचार किया गया बल्कि वसीयत के तथ्यों को छिपाते हुऐ बाला–बाला गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट् संख्या 2 लगायत 5 के नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकार कर दिया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है। पत्रावली पर न तो वादग्रस्त सम्पति को हस्तान्तरण करने के कोई दस्तावेज है और न ही कोई रजिस्टर्ड दस्तावेजी साक्ष्य है मात्र पटवारी हल्का की कोरी रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। खातेदार बजरंगलाल का विवाह रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 मीरा उर्फ प्रेमदेवी से हुआ था जिसने रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 आशा को जन्म देने के पश्चात् लगभग 32 वर्ष पूर्व ही अन्य स्थान पर बाबूलाल बैरवा नाम के व्यक्ति से विवाह कर लिया था। ग्राम पंचायत क्षेत्र तामडिया का जो राशन कार्ड है उसमें केवल बजरंगलाल व माता ग्यारसीदेवी का नाम दर्ज है, रेस्पोडेन्ट् संख्या 2

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वि.) जयपुर

2

मीरा उर्फ प्रेमदेवी ने बजरंगलाल के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति बाबूलाल से पुर्नविवाह कर लिया था और उसके साथ निवास कर रही है, निर्वाचक नामावली विधानसभा क्षेत्र झोटवाडा वर्ष–2013 में बतौर पति पत्नी प्रेमदेवी व बाबूलाल का नाम दर्ज है, पत्नी द्वारा पुर्नविवाह कर लिये जाने पर पूर्व पति की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है, रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 का मृतक बजरंगलाल से अथवा अपीलान्ट् से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। लाली देवी कभी भी बजरंगलाल की बतौर पत्नी नहीं रही है और न ही राशनकार्ड जो लालीदेवी व दिनेश का है वह रेनवाल माजी क्षेत्र का है। इसमें कहीं भी बजरंगलाल का नाम अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह सिद्ध होता हो कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 मृतक बजरंगलाल की पत्नी रही हो और दिनेश पुत्र रहा हो। बजरंगलाल की कृषि भूमि का गलत रूप से नामान्तरकरण कराये जाने के बाद कानूनी कार्यवाहियों से बचने के लिए बदनियती पूर्वक वर्ष 2017 में भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड में बजरंगलाल का नाम लिखवाया है जो गलत है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 आशा का पालन–पोषण अपीलान्ट् और अपीलान्ट् की माता ने किया और अपीलान्ट् ने ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 का विवाह किया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 लाली देवी कभी भी अपीलान्ट् के भाई की पत्नी नहीं रही इसलिऐ रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 के नाम नामान्तरकरण खोलने का तो शून्य मात्र भी आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकण को तस्दीक किये जाने से पूर्व न तो मौके की जांच की और न ही वारिसान् की सूक्ष्मता से जांच की यहां तक कि मुख्य दस्तावेज जो वसीयत का था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में था उसको तो बिलकुल ही दर–किनार कर तथ्यों को छिपाते हुऐ अवांछित व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। खातेदार बजरंगलाल के जीवनकाल से ही अपीलान्ट् का कब्जा–काश्त है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। खातेदार बजरंगलाल जो कि अपीलान्ट् का सगा भाई है, खातेदार बजरंगलाल ने अपीलान्ट् के हक में वसीयत की है। खातेदार बजरंग लाल ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट् के अतिरिक्त अन्य किसी के हक में वसीयत नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 25.06.2016 नामान्तरकरण संख्या 173 ग्राम हरिबल्लभपुरा निरस्त फरमाया जावे और प्रकरण तहसीलदार, चाकसू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वसीयत के आधार पर अपीलान्ट् के हक में नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद बैरवा ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई एव है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय मौके की एवं विधिक वारिसान की जांच कर ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 मृतक खातेदार बजरंगलाल के विधिक वारिसान है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 खातेदार बजरंगलाल की विवाहिता पत्नी है जिससे उत्पन्न सन्तान रेस्पोडेन्ट् संख्या 5 दिनेश है। अपीलान्ट् ने सभी तथ्य तोड मरोड कर स्वार्थ के वशीभूत होकर अपील में प्रस्तुत किये है। खातेदार बजरंगलाल ने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की है, यदि कोई वसीयत है भी तो वह फर्जी है। अपीलान्ट्स चालाक प्रवृति के लोग है, सम्पति को हडपने की गरज से इन्होने रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। मीरा उर्फ प्रेमदेवी पति के जीवनकाल में ही छोडकर चली गई थी और अन्य से पुनर्विवाह कर लिया था। अतः स्पष्ट है अपीलान्ट्स का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वसीयत का कोई दस्तावेज भी है तो वह वादग्रस्त आराजी को हडपने की गरज से बनाया गया दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान के अनुरूप पारित की गई है। नामान्तरकरण विरासत के आधार पर स्वीकार किया गया है।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि बजरंग लाल की दिनांक 25.08.2013 को मृत्यु होने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.06.2016 को मात्र सजरा के आधार पर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने मृत्यु–प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार नवीन अंकन सही होने की दिनांक 24.06.2016 को रिपोर्ट की है। तहसीलदार, चाकसू द्वारा मात्र स्वीकृत शब्द अंकित कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। इस प्रकार यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्ध रखने वाले पक्षकारों को नोटिस/सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अपीलान्ट् भगवानसहाय जिसने स्वयं के हक में खातेदार द्वारा वसीयत किया जाना तथा मृतक द्वारा उतराधिकारी/वारिस घोषित किया जाना जाहिर किया है

और इस सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2015 को शिविर प्रभारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया है (जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है) और इस प्रार्थना–पत्र पर पटवारी हल्का ने खातेदार कि मृत्यु होने तथा अपीलान्ट भगवान सहाय के हक में नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयत होने की रिपोर्ट की है, भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच की है। तहसीलदार ने इस प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने की आज्ञा दी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 25.06.2016 स्वीकृत किये जाने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है। जबकि बजरंगलाल द्वारा की गई वसीयत में भगवानसहाय के हक वसीयत किया जाना तथा वारिस व उत्तराधिकारी भगवानसहाय को होना इस लेखपत्र में स्वीकार किया गया है, दूसरी ओर पत्रावली पर नकल फोटोस्टेट निर्वाचक नामावली वर्ष 2013 से यह जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ने बजरंगलाल के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति बाबूलाल से पुनर्विवाह कर लिया। रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 5 का राशनकार्ड ग्राम पंचायत, रेनवाल माजी क्षेत्र में बना हुआ है, जिसमे बजरंगलाल का नाम दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकारों के विरासत अन्तरण पर सभी पहलूओं की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिऐ थी, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में हक–हकूक/वारिस/वसीयत के सम्बन्ध में सघन जांच नहीं की गई है, जिसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। न्याय हेतु यह आवश्यक है कि विवादग्रस्त आराजी के सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। किन्तु अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 25.06.2016 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया है एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो विधि–विरूद्ध है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 25.06.2016 ग्राम–हरिबल्लभपुरा निरस्त की जाती हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उभय–पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर दिया जाकर उपरोक्त विश्लेषणानुसार प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर